उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

दिनांक: 13 अगस्त, 2010

पत्रांक:–3494–पें0 एवं आर0–28 / पाकालि / 10–108–पेंशन–31 / 90

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के पेशनर्स / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी 2010 से महगांई राहत की लागू दरें।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या–179–पें0एंवआर0–28 / पाकालि / 10–108–पी–31 / 90, दिनांक 10.02.10, जिसके द्वारा पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत दिनांक 01 जुलाई 2009 से 27 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरुपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को दिनाक 01 जनवरी 2010 से मॅहगाई राहत की 8 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य मॅहगाई राहत में दिनांक 01.01.2010 से 08 प्रतिशत की उपरोक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य मॅहगाई राहत की वर्तमान 27 प्रतिशत की दर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0 / राविप–औ0स0–19–14 (23) एफ–85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य मॅहगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।

5. मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

संख्या :– 3494(I) पी0एण्डआर0 / पाकालि0 / 2010–108 पी–31 / 90 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्मिांचल / दक्षिणांचल विद्युत निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर / ट्रान्सको, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः........(2)

(2)

6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
15. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी को कारपोरेशन द्वारा निर्गत विभिन्न पेंशन पुनरीक्षण आदेशों की एक प्रति के साथ।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सज्जन लाल) 13/8/10

अपर सचिव (अरा0)